न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

अपील सं0––7/2016
प्रविष्टि दिनांक––20.7.2016

1. रशीद पुत्र जहूर माता जुबेदा निवासी बाडाजेरेकिला तहसील व जिला टोंक
2. रईस पुत्र जहीर माता जुबेदा निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
3. रईसा पुत्री जुबेदा जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला टोंक
4. मुन्नी पुत्री जुबेदा जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला टोंक
5. कल्लू पुत्र जुबेदा जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक

अपीलार्थीगण

बनाम

1. अनीस पुत्र अजीज जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
2. मुन्नी पुत्री अजीज जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
3. आरिफा पुत्री अजीज जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
4. छोटी पुत्री कबीर जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
5. कालू पुत्र अजीज जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
6. अनीस पुत्र अजीज जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
7. मुन्ना पुत्र अजीज जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
8. मजीद पुत्र अजीज जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
9. नफीस पुत्र अजीज जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
10. कबूली पुत्री अज़ीज जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
11. अमीना पत्नी अजीज जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
12. ग्राम पंचायत वजीरपुरा जिला टोंक
13. तहसीलदार टोंक

– प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री अशोक जी कासलीवाल–अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री राजेश गुर्जर– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
श्री शिवराज टाण्डी– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 4

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि. विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 98 दिनांक 28.3.1989

निर्णय

दिनांक–21.2.2018

अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम वजीरपुरा द्वारा मृतक खातेदार कबीर खां पुत्र समद खां जाति मुसलमान की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो अपीलान्टस के हितो के प्रतिकूल है। उक्त नामान्तरकरण मे अपीलान्ट का हिस्सा अंकित किया जावे। खातेदार कबीर खां के परिवार का शजरा निम्न प्रकारहैः–

कबीर खां

अजीज	छोटी	जुबेदा
पुत्र मृतक रेस्पोडेन्ट	पुत्रीरेस्पोडेन्ट सं0 4	पुत्री मृतक अपीलान्टस

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

उक्त शजरे अनुसार कबीर खां के एक पुत्र एवं दो पुत्रिया हुई उनकी मृत्यु के दिन वारिसान उत्तराधिकारी मोजूद थे परन्तु कबीर खां की विरासत का नामान्तरकरण हिस्सा 1/2 अजीज पुत्र कबीर खां व छोटी पुत्री कबीरखां के नाम अवैध तरीके से तस्दीक कर दिया जबकि कबीर खां की पुत्री जुबेदा उस समय वारिस मोजूद थे। जब नामान्तरकरण भरा गया उस समय अपीलान्टस का कब्जा था। कबीर खां के विरासत का नामान्तरकरण भरने से पहले वारिसान की जांच नही की गई। राजस्व कर्मचारियों ने मिली भगत करके नामान्तरकरण अजीज व छोटी के नाम भर दिया और जुबेदा को वंचित रख दिया। अतः उक्त नामान्तरकरण पृथम दृष्टया अवैध है। उक्त नामान्तरकरण मुस्लिम विधि के विरूद्ध है क्योकि मुस्लिम विधि के अनुसार 3/4 हिस्सा व पुत्रियो को 1/2 हिस्सा प्राप्त होता है। रेस्पोडेन्ट सं0 4 का 1/2 हिस्सा नही है। अतः उक्त नामान्तरकरण अवैध व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकितानुसार उक्त विरासत का नामान्तरकरण सही भरा गया है। उक्त नामान्तरकरण से अपीलार्थी का कोई संबध नही है। मुस्लिम लॉ के अनुसार वारिस केवल जीवित को ही माना है। अपीलार्थी की माता का देहान्त कबीर खां के देहान्त के पूर्व ही दिनांक 7.3.1975 को ही हो गया था। विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 28.3.1989 को भरा गया है जो सही है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शजरा गलत है। सही सजरा निम्न प्रकार हैः–

कबीर खां

अजीज	छोटी
पुत्र मृतक रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 5 ता 11	प्रतिवादी सं04

कबीर खां की मृत्यु के समय दो वारिस ही जीवित थे। जब कबीर खां की तब उसकी जाय रूप से सम्पत्ति प्राप्त करने वाले मात्र उनके एक पुत्र जो रेस्पोडेन्टस नं0 1 ता 3 व 5 ता 11 के पिता है। उक्त आराजी में मुस्लिम कानून के तहत 1/2 हिस्सा पुरूष वारिस को मिलता है जो सही है। इसलिए एक पुत्री जो रेस्पोडेन्ट सं0 4 मोजूद थी इसलिए 1/2 हिस्सा अमल दरामद हुआ है। अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नामान्तरकरण सं0 98 ग्राम बाडाजेरेकिला, पटवार हल्का वजीरपुरा, जमाबंदी संवत 2049–52, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान बहस के दौरान उभय पक्ष ने अपने अपनें तथ्यों को दोहराया।

हमने अपील एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। नामा0 सं0 98 मे अंकितानुसार उक्त नामान्तरकरण कबीर खां की विरासत का है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। यहा अपीलार्थीगण का कहना है कि कबीर के एक पुत्र व दो पुत्रिया थी। इस तथ्य को रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत जवाब मे भी स्वीकार किया गया है। यह तथ्य तो साबित है कि जुबेदा, कबीर की वारिस थी। लेकिन रेस्पोडेन्ट का कहना है कि एक पुत्री जुबेदा अपने पिता कबीर खां की मृत्यु से पहले ही उसका देहान्त हो गया था। लेकिन उनके द्वारा जवाब मे यह अंकित नही किया गया कि जुबेदा की मृत्यु के समय उसके वारिसान मोजूद थे या नही? यदि जुबेदा के वारीसान जीवित थे तो उनके नाम नामान्तरकरण मे अंकित किया जाना आवश्यक था। नामान्तरकरण की पुष्ठ पर मृतक के परिवार का सजरा अंकित नही है जिससे स्पष्ट हो कि कबीर के वारिसो की जांच उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा उसे प्रमाणित किया हो। इस प्रकार मृतक के विधिक वारिसान की जांच मे संशय प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भी विरासत मे पुत्रियो या उनके वारिसान के नाम अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थीगण को एक अवसर दिया जाना न्यायोचित है। चूंकि विवादित नामान्तरकरण विरासत का है और यदि अपीलार्थीगण मृतक कबीर खां के वारिसान है तो उन्हे उनके हक से वंचित किया जाना न्यायोचित नही होगा। अतः मृतक के विधिक वारिसान की जांच होना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
नीम (राज०)

आदेश

अतः अपील, अपीलार्थीगण बाबत विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 98 दिनांक 28.3.1989 ग्राम बाडाजेरेकिला, पटवार हल्का वजीरपुरा, तहसील टोंक स्वीकार की जाकर, उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर, तहसीलदार टोंक को नामान्तरकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादित नामान्तरकरण मे मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर, नियमानुसार पुनः विधिक वारिसानो के नाम नामान्तरकरण तस्दीक की कार्यवाही कर, पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज **दिनांक 21.2.2018** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक